यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की आबादी भूमि आवंटन विनियमावली 2010

(1) संक्षिप्त नाम, उद्देश्य और विस्तार-

1.1 यह विनियमावली यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की आबादी भूमि आवंटन विनियमावली 2010 के नाम से प्रचलित होगी।

1.2 इस विनियमावली का प्रभाव क्षेत्र यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का अधिसूचित क्षेत्र होगा।

1.3 इस विनियमावली का उद्देश्य यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा अपने अधिसूचित क्षेत्र में अर्जित एवं कब्जा प्राप्त भूमि से प्रभावित पुश्तैनी/ मूल काश्तकारों के पुनर्वास हेतु ऐसे पुश्तैनी/मूल काश्तकारों को उनकी अर्जित भूमि के सापेक्ष विनियमावली के प्रावधानों के अनुसार आबादी भूमि आवंटन करना है।

(2) परिभा-ाएँ-

2.1 पुश्तैनी/ मूल काश्तकार से आशय प्राधिकरण की स्थापना तिथि दिनांक 24.04.2001 अथवा उसके पूर्व -ाटवार्-िक रजिस्टर (खतौनी) में अंकित तथा प्राधिकरण में अधिसूचित उसी जनपद के किसी ग्राम के निवासी समस्त भूमिधर अथवा उनके विधिक उत्तराधिकारी जिन्होंने कालान्तर में स्वत्व प्राप्त किया है, तथा जिनकी भूमि यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहीत की गई हो, से है। ऐसे मूल काश्तकार जिनके द्वारा प्राधिकरण के स्थापना के बाद उसी ग्राम के दूसरे उक्तानुसार पात्र मूल काश्तकार से भूमि क्रय की गई हो, भी पुश्तैनी/ मूल काश्तकार माने जायेंगे।

(3) आबादी भूमि आवंटन हेतु पात्रता एवं सीमा -

3.1 प्राधिकरण की स्थापना तिथि दिनांक 24.04.2001 अथवा उसके पूर्व -ाटवार्-िक रजिस्टर (खतौनी) में अंकित तथा प्राधिकरण में अधिसूचित उसी जनपद के किसी ग्राम के निवासी समस्त भूमिधर अथवा उनके विधिक उत्तराधिकारी जिन्होंने कालान्तर में स्वत्व प्राप्त किया है आबादी भूमि आवंटन हेतु पात्र होंगे।

3.2 प्रस्तर 3.1 के अनुसार पात्र ऐसे पुश्तैनी/ मूल काश्तकार जिनके द्वारा प्राधिकरण की स्थापना के बाद उसी ग्राम के दूसरे उक्तानुसार पात्र मूल काश्तकार से भूमि क्रय की गई हो, भी 07 प्रतिशत आबादी भूमि आवंटन हेतु पात्र होंगे।

3.3 ऐसे खातेदार जिनका प्राधिकरण की अर्जित/पुनर्ग्रहीत एवं कब्जा प्राप्त भूमि पर अतिक्रमण है अथवा उनके द्वारा प्राधिकरण के विरूद्ध किसी न्यायालय में वाद/याचिका योजित की गई हो, आवंटन हेतु पात्र नहीं होगे।

3.4 प्राधिकरण की 32वीं बोर्ड बैठक दिनांक 22.09.2009 में मद संख्या 4 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव एवं उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या 1252/1-13-10-20 (29)/2004 दिनांक 17.08.2010 के अनुपालन में पुश्तैनी/मूल काश्तकारों को उनकी अर्जित एवं कब्जा प्राप्त भूमि के सापेक्ष 07 प्रतिशत आबादी भूमि आवंटित की जायेगी।

3.5 भूमि आवंटन की न्यूनतम सीमा 120 वर्ग मीटर तथा अधिकतम सीमा 2500 वर्ग मीटर होगी।

(4) आबादी भूमि आवंटन के सापेक्ष देय शुल्क आदि

4.1 आवंटन के इच्छुक खातेदारों द्वारा भूमि के अर्जन के समय निर्धारित प्रतिकर दर पर प्रतिकर की मद में प्राप्त धनराशि की 10 प्रतिशत धनराशि प्राधिकरण कार्यालय में आवंटन से पूर्व जमा की जायेगी।

4.2 अधिग्रहण लागत एवं आंतरिक एवं बाह्य विकास शुल्क को समाहित करते हुये आबादी आवंटन हेतु भूमि की आवंटन दर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की जायेगी जो संबंधित काश्तकार द्वारा देय होगी।

(5) आबादी भूमि आवंटन की प्रक्रिया -

5.1 आबादी आवंटन हेतु संबंधित ग्राम के मूल/पुश्तैनी काश्तकारों से मूल/पुश्तैनी काश्तकार होने के संबंध में प्रार्थना पत्र व आवश्यक अभिलेख प्राप्त करने के उपरांत खातावार प्रारंभिक सूची भू-लेख विभाग के लेखपाल/ भू-लेख निरीक्षक द्वारा तैयार की जायेगी। इस संबंध में संक्षिप्त सार्वजनिक सूचना 02 स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करायी जायेगी।

5.2 प्रारंभिक सूची का परीक्षण एक उप समिति द्वारा किया जायेगा जिसमें नायब तहसीलदार यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण, प्रबंधक / सहायक प्रबंधक (परियोजना/नियोजन) तथा सहायक विधि अधिकारी, यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण सदस्य होंगे।

5.3 उप समिति द्वारा परीक्षित सूची का सार्वजनिक प्रकाशन किया जायेगा जिसमें आबादी भूमि आवंटन हेतु पात्र कृ-नकों की अर्जित भूमि तथा आबादी भूमि आवंटन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल का विवरण अंकित किया जायेगा। प्राधिकरण की अर्जित/ पुनर्ग्रहीत भूमि पर जिन काश्तकारों का अतिक्रमण है उनकी सूची पृथक से तैयार की जायेगी। इसी प्रकार प्राधिकरण के विरूद्ध वादरत काश्तकारों की सूची भी पृथक से तैयार की जायेगी। यह सूचियाँ प्राधिकरण के नोटिस बोर्ड पर लगायी जायेंगी तथा इस संबंध में संक्षिप्त सार्वजनिक सूचना 02 स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में भी प्रकाशित करायी जायेगी।

5.4 प्रकाशन के 15 दिवस के अंदर प्राप्त आपत्तियों की आवश्यक जाँच एवं परीक्षणोपरांत उप समिति द्वारा अपनी टिप्पणी/ संस्तुति प्रस्तुत की जायेगी।

5.5 उप समिति द्वारा प्रस्तुत आख्या का परीक्षण कर अंतिम रूप से पात्र व्यक्तियों की सूची का निर्धारण एक समिति द्वारा किया जायेगा जिसमें डिप्टी कलेक्टर यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण, संबंधित तहसील के उप जिलाधिकारी, उप महाप्रबंधक (परियोजना), उप महाप्रबंधक (नियोजन), तहसीलदार व विधि अधिकारी/ सहायक विधि अधिकारी, वाई.ई.ए. सदस्य होंगे। उक्त समिति द्वारा परीक्षणोपरांत अपनी संस्तुति सक्षम अधिकारी के माध्यम से मुख्य कार्यपालक अधिकारी को प्रस्तुत कर अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। अंतिम सूची को प्राधिकरण के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जायेगा तथा इस संबंध में संक्षिप्त सार्वजनिक सूचना 02 स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में भी प्रकाशित करायी जायेगी।

5.6 अनुमोदनोपरांत पात्र काश्तकारों की सूची सम्पूर्ण विवरण सहित नियोजन व परियोजना विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

5.7 आबंटन हेतु पात्र व्यक्तियों को आबंटित किये जाने हेतु प्रस्तावित भूमि का नियोजन मानचित्र नियोजन विभाग द्वारा तैयार किया जायेगा।

5.8 संबंधित ग्राम की आबादी के निकट उस ग्राम की समस्त अर्जित भूमि की 10 प्रतिशत भूमि आबादी भूमि आवंटन हेतु नियोजन विभाग द्वारा आरक्षित की जायेगी।

5.9 संबंधित भूमि पर नियोजन की कार्यवाही पूर्ण कर नियोजन विभाग द्वारा सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। अनुमोदित मानचित्र की एक प्रति महाप्रबंधक / उपमहाप्रबंधक (परियोजना) को प्रेषित की जायेंगी।

5.10 समान आकार के भूखण्डों का आबंटन मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा गठित समिति के पर्यवेक्षण में भूलेख विभाग द्वारा सार्वजनिक ड्रा के आधार पर किया जायेगा।

5.11 आवंटित की जाने वाली भूमि के सापेक्ष जमा होने वाली आवंटन धनराशि व लीज रैन्ट आदि की गणना लेखा-विभाग द्वारा की जायेगी और उसका विवरण भू-लेख विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

5.12 आबंटन पत्र निर्गत किये जाने का कार्य भूलेख विभाग द्वारा किया जायेगा। नियोजन मानचित्र व आबंटियों की सूची संबंधित सिविल निर्माण खण्ड को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जायेगी।

5.13 आवंटी द्वारा समस्त देय धनराशियाँ जमा कराने के उपरांत यथा समय आवंटी के पक्ष में लीज डीड का निष्पादन प्राधिकरण के संबंधित नायब तहसीलदार द्वारा कराया जायेगा।

5.14 स्थल पर भूखण्डों को विकसित कर कब्जा हस्तांतरण की कार्यवाही परियोजना विभाग द्वारा की जायेगी।

5.15 अर्जित भूमि के सापेक्ष समायोजन के प्रकरणों में भी प्रस्तर 4.1 व 4.2 के अनुसार देय धनराशियाँ प्राधिकरण के पक्ष में जमा कराने के उपरांत भू-अर्जन से प्रभावित काश्तकार के पक्ष में प्रस्तर 5.1 से प्रस्तर 5.14 के अनुरूप भूमि आवंटन की कार्यवाही की जायेगी।

5.16 आवंटित भूमि पर **THE YAMUNA EXPRESSWAY INDUSTRIAL DEVELOPMENT AREA BUILDING REGULATION, 2010** के संगत नियम/विनियम लागू होंगे।